

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान

जबलपुर

निविदा क्रमांक : आईआईआईटीडीएमजे/टेंडर/2018/07/51 दिनांक: 29/03/2019

बाह्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की सेवा प्रदाय संबंधी निविदा प्रपत्र

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी,
अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट ऑफिस : खमरिया
जबलपुर -482005

सीलबंद निविदा प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि: 25 अप्रैल 2019 (अपरान्ह 3 बजे से पहले)

कुल पृष्ठ 26

निविदा प्रपत्र मूल्य रु 1000/- मात्र
डिमांड ड्राफ्ट के रूप में
PDPM IIITDM Jabalpur Payable at Jabalpur के नाम से देय

टीप – किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में उपरोक्त निविदा का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर

निविदा कार्यक्रम संबंधी जानकारी

1	सेवा प्रदाता का नाम एवं पूरा पता जिसे कार्यक्रम जारी किया गया है	
2	निविदा प्रपत्र जारी किए जाने की तिथि	अप्रैल 29, 2019
3	बोली लगाये जाने के पूर्व कान्फ्रेंस का कार्यक्रम	अप्रैल १२, 2019 को 15.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में
4	सीलबंद निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	अप्रैल 25, 2019, अपरान्ह 3.00 बजे
5	सीलबंद निविदा खोलने की तिथि (केवल तकनीकी बोली)	अप्रैल 25, 2019 अपरान्ह 4.00 बजे संस्थान के सभा कक्ष में
6	वित्तीय बोली खोलने की तिथि (केवल उनके लिए जो तकनीकी बोली में सफल हुए हों)	बाद में तय की जाएगी (मोटे तौर पर यह तिथि मई 15, 2019 हो सकती है)

कुलसचिव

निविदाकार का हस्ताक्षर

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर

बाह्य स्रोत से नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की सेवा प्रदाय संबंधी निविदा प्रपत्र

पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जिसकी स्थापना संसदीय अधिनियम के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। संस्थान उन विश्वसनीय और उच्च प्रोफेशनल एजेंसियों से सीलबंद प्रस्ताव / निविदा आमंत्रित करता है जो उन पात्रता मापदण्डों को पूरा करते हैं जिनका "संस्थान के कार्य स्थलों पर संविदा आधार पर कर्मचारियों की तैनाती एवं देखरेख के लिए" निर्धारण किया गया है। यह आमंत्रण इस निविदा प्रपत्र में उल्लिखित कार्य के स्वरूप और शर्तों के अनुसार तीन वर्षों के लिए है।

1. कार्य:

संस्थान में जनशक्ति की तैनाती और पर्यवेक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी। कार्य संबंधी संक्षिप्त विवरण और आवश्यक जनबल की जानकारी अनुलग्नक - I और II में दी गई है। सूची निर्दर्शी संपूर्ण नहीं है। आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या एवं उनसे संबंधित मानदंड संस्थान की समय-समय पर वास्तविक आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।

2. बोली की प्रक्रिया

निविदाकार के लिए दो प्रकार की बोली लगाने की व्यवस्था की जाएगी।

2.1 बोली कर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी विस्तृत निविदा दो भागों में प्रस्तुत करें:

भाग-I : तकनीकी बोली

भाग-II : वित्तीय बोली

2.1.1 तकनीकी बोली:

तकनीकी बोली एक सीलबंद लिफाफे में जमा की जानी चाहिए जिस पर मोटे अक्षरों में "भाग-I मैनपावर आउटसोर्सिंग के लिए तकनीकी बोली" लिखा होना चाहिए। तकनीकी बोली संलग्नक -III के अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अ) निविदा प्रपत्र का मूल्य रु 1000/- के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी किया गया हो और जबलपुर में देय हो।

ब) रु 200000/- (दो लाख) रूपये की ईएमडी जो पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी और जबलपुर में देय क्रास्ड डिमांड ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक/एफडीआर के रूप में हो।

(स) सर्टीफिकेट आफ इनकार्पोरेशन / एजेंसी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति

द) कार्य का अनुभव (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017 -18)

य) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रस्तुत किए गए आयकर रिटर्न की प्रमाणित प्रति (वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017 -18)

र) चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा जारी वार्षिक टर्नओवर सर्टीफिकेट

ल) आईएसओ 9001, 14001, ओएचएसएएस -18001 आदि आवश्यक प्रमाणपत्र

व) ईएसआई एवं ईपीएफ रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रों की प्रमाणित प्रति

स) पैन कार्ड की प्रमाणित प्रति

श) सेवा कर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति

- ह) कांट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एवं एबालिशन) ऐक्ट 1970 के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट की प्रमाणित प्रति (कम से कम 105 संविदा श्रमिकों के लिए)
- त) जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति
- थ) संलग्नक -IV में निर्धारित घोषणा पत्र
- द) संलग्नक -V में निर्धारित शपथ पत्र
- ध) निविदाकार की ओर से हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में पावर आँफ एटार्नी / बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव
- न) संलग्नक -VI के अनुसार तकनीकी बोली के मूल्यांकन पत्रक का प्रारूप

नोट- 1: कोई भी ब्रोशर / लीफलेट /सीडी आदि अलग अलग प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

नोट-2: अपने निविदा प्रपत्र पर पृष्ठ संख्या अंकित करें।

नोट -3: तकनीकी बोली में मूल्य का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए अन्यथा प्रस्तुत की गई बोली रद्द कर दी जाएगी।

2.1.2 वित्तीय बोली:

वित्तीय बोली संलग्नक -VII में निर्धारित प्रारूप में अलग से एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए जिस पर मोटे अक्षरों में " भाग -II: फाईनैसियल बिड फार आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर " लिखा होना चाहिए।

नोट 1: वित्तीय बोली में एजेंसी के ओवरहेड / सेवा शुल्क और अन्य वैधानिक कर / देयताएँ शामिल होंगी। मूल्य सभी श्रेणियों के लिए समान होना चाहिए और प्रतिशत (%) के संदर्भ में उद्धृत किया जाना चाहिए। यदि वैधानिक करों का अलग से उल्लेख नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि मूल्य में सभी वैधानिक कर / देयता शामिल हैं।

नोट 2: यदि वित्तीय बोली अलग से प्रस्तुत नहीं की जाती है और तकनीकी बोली के साथ जोड़ दी जाती है, तो बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

नोट 3: सेवा शुल्क पूरे नंबर या दशमलव संख्या में उद्धृत किए जाने हैं, अंश में नहीं। दशमलव बिंदु के बाद अधिकतम दो अंकों में उद्धृत अंक मान्य होंगे, उदाहरण के लिए यदि बोली को 2.176 के रूप में उद्धृत किया जाता है, तो केवल 2.17 को माना जाएगा और संख्या 6 को छोड़ दिया जाएगा।

नोट 4: यदि कोई फर्म / एजेंसी सेवा शुल्क 0 (शून्य) उद्धृत करती है, तो उनका उद्धरण बिना किसी विचार के खारिज कर दिया जाएगा। (1% (वन प्रतिशत) से कम बोली को शून्य माना जाएगा)

2.2 अर्नेस्ट मनी

अर्नेस्ट मनी 200,000/- (दो लाख) रूपये मात्र की अर्नेस्ट मनी पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी और जबलपुर में देय डिमांड ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक /एफडीआर के रूप में तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना चाहिये।

नोट 1: ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

नोट 2: बोली की सुरक्षा निधि ठेका जारी करने के बाद असफल बोलीकर्ताओं को वापस कर दी जाएगी।

नोट 3: बिना अर्नेस्ट मनी के जमी की गई बोलियाँ (बिड) एकमुश्त रूप से रद्द कर दी जाएंगी।

2.3 बोली का मूल्यांकन

अ) बोली का मूल्यांकन तकनीकी और वित्तीय मापदंडों के आधार पर दो चरणों में किया जाएगा।

ब) वित्तीय बोली केवल उन निविदाकारों के लिए खोली जाएगी जो तकनीकी बोली के मूल्यांकन में योग्य पाए जाएंगे।

स) तकनीकी बोली का मूल्यांकन संस्थान के निदेशक द्वारा गठित एक समिति निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर करेगी :-

- i) बोलीकर्ता को निविदा प्रपत्र (सेक्षन -3) में उल्लिखित न्यूनतम पात्रता पूरी करनी चाहिए।
- ii) तकनीकी मूल्यांकन के स्तर तक प्रत्येक बोलीकर्ता को संलग्नक VI में दिए गए मानदण्ड के अनुसार अंक प्रदान किए जाएंगे। कुल 100 अंकों में से अंक दिए जाएंगे।
- iii) मूल्यांकन निविदाकार द्वारा संलग्नक VI में उल्लिखित पात्रता के अनुसार तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।
- iv) बोलीकर्ता को न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरी करनी चाहिए और उसे तकनीकी बोली मूल्यांकन में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक (अर्थात् 100 में से कम से कम 60 अंक अवश्य प्राप्त करनी चाहिए ताकि वह वित्तीय बोली खोलने की योग्यता हासिल कर सके।
- v) एक ठोस और सकारात्मक बोली उसे माना जाएगा जो निविदा प्रपत्रों की समग्रता के अनुरूप सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो अर्थात् उपर्युक्त प्रक्रियाओं के अनुकूल हो। ऐसी तकनीकी बोली को रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा यदि वह निविदा प्रपत्र के अनुसार न्यूनतम मापदण्डों / किसी भी अन्य निर्धारित शर्त को पूरा नहीं करता हो।

द) भाग-I (तकनीकी बोली) की जांच के बाद भाग -II (वित्तीय बोली) खोले जाने की सूचना केवल तकनीकी बोली के योग्य पात्र निविदाकार को ही दी जाएगी। (उन्हें जो न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हों एवं अन्य सभी अर्हता रखते हों)

य) ठेका स्वीकृत करने के लिए अंतिम मूल्यांकन केवल वित्तीय बोली के आधार पर किया जाएगा। यदि न्यूनतम दर पर काम करने के योग्य एक से अधिक निविदाकार पाए जाते हैं तब ऐसी स्थिति में तकनीकी बोली में अपेक्षाकृत सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी।

नोट 1: संस्थान के निदेशक को बिना कोई कारण बताये सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार होगा।

नोट 2: बोली के प्रपत्रों में ओवरराईटिंग / किसी भी तथ्य को मिटाये जाने की स्थिति में उक्त बोली को अवैध माना जाएगा। यदि ऐसा करना अपरिहार्य हो तो सभी तरह की काटपीट / ओवरराईटिंग को अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। यदि निर्धारित स्थान पर्याप्त न हो तो अतिरिक्त शीट संलग्न की जा सकती है।

नोट-3: बोली में उन सूचनाओं का होना अनिवार्य है जो दिए गए प्रारूप में निर्धारित है। जिन बोलियों (निविदाओं) में वांछनीय जानकारी नहीं दी गई होगी और जिनके साथ आवश्यकता दस्तावेज संलग्न नहीं किये होंगे उन पर मूल्यांकन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

नोट-4: सर्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें प्रथम दृष्टया ही निरस्त कर दिया जाएगा।

2.4 निविदाओं का निरस्तीकरण

निदेशक, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर को किसी या सभी निविदाओं को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से निरस्त / रद्द करने का पूरा अधिकार होगा :-

- अ) यदि फर्म ने निर्धारित माध्यम से ईएमडी जमा नहीं किया है और यदि निविदा प्रपत्र शुल्क जमा नहीं किया गया है।
- ब) यदि फर्म द्वारा "नील" सेवा शुल्क या 1 प्रतिशत से कम उल्लेख किया गया है।
- स) यदि बोली की वैधता निर्धारित 90 दिनों की अवधि से कम है।
- द) यदि निविदा पर विधिवत हस्ताक्षर नहीं है या वह पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर की संतुष्टि के अनुरूप उचित या किसी भी अनिवार्य आवश्यकता, विशेष औपचारिकता के पूरा न होने या ऐसे किसी भी कारण से जिसे निविदाकार को अवगत कराना जरूरी न समझा जाये।
- य) यदि सेक्षण 3 में उल्लिखित न्यूनतम अर्हता शर्त पूरी न हो और / या अर्हता की पुष्टि हेतु निर्धारित साध्य दस्तावेज निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत न किया गया हो।
- र) यदि निविदाकार निविदा में पूर्व निर्धारित समय सीमा, नियम विनियम, स्पेसिफिकेशन में कोई परिवर्तन की मांग करे।
- ल) यदि मूल्य बोली खुले लिफाफे में प्रस्तुत की गई हो।
- ब) यदि निविदाकार किसी भी रूप में अपने पक्ष में प्रचार करता हो।
- स) यदि दरें आंकड़ों व शब्दों में प्रतिशत (%) के साथ दोनों में उद्घृत नहीं की जाती हैं।

2.5 निविदा की प्रस्तुति

- अ) पूरी तरह से भरी हुई सीलबंद निविदा स्पीड पोस्ट / कूरियर के माध्यम से निम्नलिखित पते पर भेजी जानी चाहिए :-

कुलसचिव

पं. द्वारिका प्रसाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान जबलपुर

डुमना एयरपोर्ट रोड

पोस्ट : खमरिया

जबलपुर -482005 भारत

- या संस्थान के प्रशासनिक कार्यालय में रखे गये निविदा पेटी (टेंडर बाक्स) में स्वयं जमा करना चाहिए। बोली केवल निर्धारित निविदा प्रपत्र में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसे संस्थान की वेबसाइट www.iiitdmj.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र के साथ पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी और जबलपुर में देय रु 1000/- का बैंक ड्राफ्ट (निविदा प्रपत्र मूल्य) भी जमा करना चाहिए। किसी भी दूसरे प्रपत्र में जमा की गई निविदा निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार / बोलीकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। पोस्टल या किसी भी अन्य प्रकार के विलंब के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।
- ब) दो भागों (तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली) में भरे हुए निविदा प्रपत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में " बाह्यस्रोत से नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की आपूर्ति -2018 हेतु निविदा / टेंडर फार मैनपावर सप्लाई -2018" लिखा होना चाहिए।
- स) तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली सेक्षण 2.1.1 और 2.1.2 में क्रमशः यथा विनिर्दिष्ट दो अलग अलग लिफाफों में रखी होनी चाहिए।

3. न्यूनतम आवश्यक पात्रता

बोलीकर्ता (सेवा प्रदाता) के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं की पात्रता अनिवार्य है :-

3.1 सेवा प्रदाता को उपयुक्त पंजीकरण संस्था द्वारा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना चाहिए । एजेंसी का पंजीकरण 15 मार्च 2019 तक कम से कम 03 वर्ष पुराना होना चाहिए ।

3.2 सेवा प्रदाता के पास 15 मार्च 2019 तक सरकारी /अर्द्ध सरकारी /शासकीय निकाय /शैक्षणिक संस्थान / सार्वजनिक उपक्रम आदि में कर्मचारियों (प्रोफेशनल स्टाफ आदि) की सेवा प्रदाय का कम से कम 03 वर्षों का अनुभव होना चाहिए जिसमें से 01 वर्ष का अनुभव राष्ट्रीय महत्व के किसी शैक्षणिक संस्थान में होना अनिवार्य है । 15 जून 2013 के पूर्व तक के अनुभव पर विचार नहीं किया जाएगा । केवल कम से कम 100 कर्मचारियों तक की सेवा प्रदान करने के अनुभव पर ही विचार होगा । ऐसे बोलीकर्ताओं /एजेंसियों को पात्रता नहीं होगी जिनका प्रोफाईल कार्य के स्वरूप एवं क्षेत्र में दिए गए प्रोफाईल के अनुसार नहीं होगा ।

3.3 सेवा प्रदाता का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर पिछले वित्तीय वर्षों 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में से लगातार किन्हीं 03 वर्षों के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कम से कम 5 करोड़ (पांच करोड़ रूपये मात्र) होना चाहिए । यह राशि प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम है न कि औसत आधार पर ।

3.4 सेवा प्रदाता को आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001 प्रमाणित उपक्रम होना चाहिए जिसके पास 15 मार्च 2019 तक के लिए वैध प्रमाणपत्र भी होना चाहिए ।

3.5 सेवा प्रदाता को किसी भी सरकारी/ अर्द्ध सरकारी /शासकीय निकाय /विश्वविद्यालय /संस्थान / अन्य विश्वसनीय संस्था द्वारा किसी भी कारण से ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया होना चाहिए । सेवा प्रदाता को इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि भविष्य में, यदि कोई झूठी घोषणा साबित हुई तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा ।

3.6 सेवा प्रदाता को ईम्प्लाईज स्टेट इंश्युरेंस (ईएसआई) एवं ईम्प्लाईज प्राविडेंट फण्ड (ईपीएफ) से ईएसआई तथा भविष्य निधि अंशदान जमा करने हेतु पंजीकृत होना चाहिए ।

3.7 सेवा प्रदाता को जीएसटी के लिए पंजीकृत होना चाहिए और उसके पास जीएसटीआईएन एवं पैन भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए ।

3.8 सेवा प्रदाता के पास कान्ट्रैक्ट लेवर (रेग्युलेशन एवं एबालिशन) एक्ट 1970 के अंतर्गत ठेके / संविदा के विशिष्ट नंबर हेतु क्षेत्रीय श्रम आयुक्त या किसी अन्य विधिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध लेवर लाईसेंस होना चाहिए ।

3.9 विगत समय में असंतोषजनक कार्य निष्पादन, भ्रष्टाचार, जालसाजी या अन्य अनैतिक व्यावसायिक आचरण वाले बोलीकर्ता पात्र नहीं होंगे ।

4. ठेके (कान्ट्रैक्ट) की अवधि

शुरू में एजेंसी / सेवा प्रदाता को केवल एक वर्ष के लिए ठेका दिया जाएगा जिसे संतोषजनक कार्यनिष्पादन तथा एग्रीमेंट की शर्तों के अनुपालन के आधार पर अधिकतम तीन वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है ।

5. सामान्य नियम एवं शर्तें

5.1 निविदाकार को अपनी प्रस्तावित मूल्य बोली का उल्लेख निविदा प्रपत्र के उपयुक्त कालम में ही करना चाहिए । किसी भी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे एकमुश्त रूप से रद्द कर दिया जाएगा । निविदा प्रपत्र की मूल्य बोली में उल्लिखित दर पर ही विचार किया जाएगा मूल्य बोली के साथ संलग्न किए गए किसी भी दूसरे दस्तावेज /प्रपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा । निविदा प्रपत्र में गलत प्रविष्टि पाए जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है । दर का उल्लेख अंकों एवं शब्दों दोनों में किया जाना चाहिए । साथ ही प्रतिशत में भी दर का उल्लेख किया जाना चाहिए । तथापि, किसी प्रकार के भ्रम या गलती की स्थिति में केवल शब्दों में अंकित की गई दर ही मान्य होगी ।

5.2. तकनीकी बोली के साथ पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में जारी एवं जबलपुर में देय रु 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक/ एफडीआर जमा करना होगा । ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में चेक स्वीकार्य नहीं होगा । निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद असफल निविदाकारों को ईएमडी लौटा दी जाएगी ।

5.3. प्रस्तुत की गई निविदा 90 दिनों के लिए वैध होगी जिसकी गणना निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से की जाएगी ।

5.4. सेवा प्रदाता को ठेका शुरू होने के पूर्व रु 10,00,000/- (रूपये दस लाख) मात्र की बैंक गारंटी कार्य निष्पादन गारन्टी स्वरूप सुरक्षा निधि के रूप में जमा करनी होगी । बैंक गारंटी की वैधता ठेके की वैधता के इतर 60 दिनों की होगी । यदि ठेकेदार समय से पहले ही कार्य बंद कर दे या सुनवाई का मौका दिये जाने के बाद यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाये तो उसके द्वारा जमा सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी ।

5.5. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को होगा । सक्षम प्राधिकारी संस्थान के हित में बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत या निरस्त कर सकता है ।

5.6. सेवा प्रदाता को स्वयं या उसके कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली संस्थान की सभी चल संपत्तियों यथा फर्नीचर, विजली व्यवस्था आदि की देखरेख करनी होगी और ठेके की अवधि के दौरान उन्हें अच्छी दशा में रखना होगा । सेवा प्रदाता को सौंपी गई सभी सामग्री ठेके की अवधि के अंत में या ठेका रद्द किए जाने पर अच्छी हालत में वापस करना होगा । यदि इन संपत्तियों की कोई क्षति होती है तो सेवा प्रदाता को उसकी मरम्मत पर आने वाले व्यय या उसकी जगह नई सामग्री की खरीद पर आने वाले व्यय की भरपाई संस्थान को करनी होगी । ऐसी स्थिति में धनराशि का निर्धारण संस्थान के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा ।

5.7. पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के निदेशक या कुलसचिव, आवश्यकता पड़ने पर सेवा प्रदाता के कार्य क्षेत्र का किसी भी समय निरीक्षण कर सकते हैं और कार्यनिष्पादन स्तरहीन या असंतोषजनक पाए जाने पर ठेका रद्द कर सकते हैं ।

5.8. किसी भी माह विशेष के लिए कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एजेंसी द्वारा अगले महीने की 7 तारीख को बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा ।

5.9. ठेके के कर्मचारियों के कानूनी या अन्य किसी भी मामले यथा उनकी नियुक्ति, आचरण /अनुशासन /बर्खास्तगी / वेतन /नियम एवं शर्तें के लिए संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बल्कि इस तरह की सभी जिम्मेदारी सेवा प्रदाता की होगी ।

5.10. संस्थान द्वारा सेवा प्रदाता /फर्म /कंपनी से या उसके कर्मचारियों से संस्थान में नियमित नियुक्ति / संविलियन हेतु किसी भी प्रकार के दावे को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही उस पर विचार किया जाएगा ।

5.11. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्ति कर्मचारी उचित तरीके से साफ सुधरे कपड़े पहने हैं और संस्थान के अधिकारियों के साथ अनुशासनपूर्ण तथा विनम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं । सेवा प्रदाता द्वारा निम्नलिखित सामग्री प्रदान की जाएगी :-

अ) अपनी कीमत पर कर्मचारियों को समुचित यूनिफार्म । यूनिफार्म साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए । यूनिफार्म का कलर कोड सेवा प्रदाता तथा संस्थान के अधिकृत व्यक्ति की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाएगा ।

ब) सेवा प्रदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जिसे कर्मचारी या तो अपने यूनिफार्म की बांई ओर लगाएंगे या अपने गले में लटकाएंगे ताकि कार्य के समय उन्हें पहचाना जा सके ।

5.12. सेवा प्रदाता द्वारा ठेका प्रारंभ होने के पहले अपने सभी कर्मचारियों की सूची उनके आवासीय पते के प्रमाण तथा पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सहित संस्थान को प्रस्तुत करनी होगी । सेवा प्रदाता को इस आशय का एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कदाचार के लिए जिम्मेदार होगा । यदि ठेके के लंबित रहने की अवधि में किसी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है तो भी सेवा प्रदाता द्वारा उसके बारे में समान विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

5.13. यदि संस्थान सेवा प्रदाता के किसी कर्मचारी के आचरण, कार्यनिष्पादन, व्यवहार आदि से संतुष्ट नहीं होता है तो सेवा प्रदाता संस्थान की सहमति से ऐसे कर्मचारी की जगह नये कर्मचारी की नियुक्ति करेगा ।

5.14. बाह्यस्रोत से नियुक्त कर्मचारी नशे की हालत में काम नहीं करेंगे और न ही संस्थान परिसर में गुटका या किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का सेवन करेंगे ।

5.15. सेवा प्रदाता / फर्म / कंपनी द्वारा किसी भी स्थिति में किसी अन्य एजेंसी से काम कराने की अनुमति नहीं होगी । यदि किसी भी स्तर पर यह पाया गया कि सेवायें किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से दी जा रही हैं तो ठेका तुरंत रद्द कर दिया जाएगा ।

5.16. दोनों पक्षों के बीच (सहमति पत्र में यथा वर्णित) किसी विवाद की स्थिति में उसे संस्थान के निदेशक के संग्यान में लाया जाएगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी और अंतिम रूप से मान्य होगा ।

5.17. निदेशक, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत करने या निरस्त करने का अधिकार होगा ।

5.18. सेवा प्रदाता के पास अपने स्वयं की देखरेख की प्रणाली और व्यवस्था होगी और वह कुलसचिव, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर या संस्थान के निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी की संतुष्टि के मुताबिक संस्थान परिसर में उपयुक्त कर्मचारी की तैनाती करेगा । तथापि, सेवा प्रदाता ऐसी प्रणाली का विस्तृत विवरण संस्थान के कुलसचिव के पास अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा । संस्थान में कम से कम प्रबंधक के पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति सेवा प्रदाता द्वारा अपने खर्च पर करनी होगी ।

5.19. हाउसकीर्पिंग की व्यवस्था का निरीक्षण संस्थान के निदेशक / रजिस्ट्रार या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जा सकता है।

5.20. दिए गए कार्य का सेवा प्रदाता द्वारा अपनी कीमत पर समाह में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा तथा उसकी रिपोर्ट नियमित रूप से कुलसचिव, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर या निदेशक द्वारा अधिकृत अधिकारी / स्टाफ के पास प्रस्तुत करनी होगी।

5.21. कर्मचारियों का व्यौहार किसी भी तरह से प्रशासन के लिए कष्टदायक नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता ऐसे कर्मचारियों को तैनात करेगा जिसका चरित्र अच्छा हो, वह शारीरिक रूप से सक्षम हो, कार्य में दक्ष हो, सद्व्यौहार वाला हो और अपने हुनर में माहिर हो।

5.22. सेवा प्रदाता पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर की सेवा से ऐसे कर्मचारी को वापस हटा लेगा जिसका चरित्र संस्थान के सक्षम प्राधिकारी की दृष्टि में अच्छा न हो या/और उसे किसी भी कारण उद्देश्य के अनुरूप अयोग्य या अक्षम पाया जाये। यदि सेवा प्रदाता ऐसा नहीं करता है तो ऐसे कर्मचारी के मामले में किसी भी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा। इस मामले में निदेशक, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

5.23. सेवा प्रदाता को कर्मचारियों की साप्ताहिक छुट्टी और नियमित कर्मचारियों के अवकाश पर रहने के दौरान उनकी जगह आरक्षित कर्मचारियों की तैनाती करनी होगी।

5.24. सेवा प्रदाता द्वारा तैनात किए गए सभी कर्मचारियों को स्वस्थ होना चाहिए तथा उन्हें किसी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। सेवा प्रदाता को मेडिकल आफीसर द्वारा जारी सभी कर्मचारियों के फिटनेस सर्टीफिकेट समय समय पर प्रस्तुत करने होंगे।

5.25. सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत भुगतान या ऐसे हर अन्य विधेयक का पालन किया जा रहा हो तथा कार्यालय को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। यदि इनमें से किसी भी प्रकार के प्रावधान के अनुपालन नहीं किए जाने की सूचना सक्षम अधिकारी द्वारा कुलसचिव, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर को प्राप्त होती है तो सेवा प्रदाता को न केवल उनका अनुपालन सुनिश्चित करना होगा बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति भी करनी होगी।

5.26. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदाय की गई सेवा संस्थान के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। इस संबंध में किसी भी तरह के विचलन या कमी को ठेके का उल्लंघन माना जाएगा और इसके परिणामस्वरूप ठेका रद्द भी किया जा सकता है। इस संबंध में निदेशक, पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

5.27. संस्थान के हित में सेवा प्रदाता को यह सुझाव दिया जा सकता है / अनुरोध किया जा सकता है कि वह मौजूदा कर्मचारियों को ही काम पर रखे।

5.28. प्रस्तावित और स्वीकृत दर 03 वर्षों की संविदा (ठेका) अवधि के लिए अंतिम रूप से मान्य होगी।

5.29. सभी कानूनी विवाद जबलपुर न्यायिक क्षेत्र के अधीन होंगे।

5.30. वर्तमान में मोटे तौर पर 187 (एक सौ इक्यासी) कर्मचारियों की आवश्यकता है। विस्तृत विवरण संलग्न - I & II में दिया गया है। संस्थान की जरूरतों के अनुसार कर्मचारियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। निविदाकार के पास संस्थान की आवश्यक संख्या के अनुसार वैध लेवर लाइसेंस होना चाहिए।

5.31. संस्थान को किसी भी स्तर पर निविदा प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार होगा।

5.32. आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती / स्थानापन्न व्यवस्था में विलंब को ठेके का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी । किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण उसकी जगह दूसरे कर्मचारी की तैनाती में मांग की तिथि से 06 दिनों से अधिक के विलंब की स्थिति के ऐसे प्रत्येक प्रकरण में 300/- प्रति दिन के हिसाब से अर्थदण्ड लगाया जाएगा जो प्रो रेटा आधार पर भुगतान से कटौती के अतिरिक्त होगा ।

5.33. पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर का सामान्य कार्य समय पूर्वान्ह 9.00 बजे से अपरान्ह 5.30 तक है।

5.34. कर्मचारियों की उपलब्धता सभी कार्य दिवसों (सामान्यतः सोमवार से शनिवार तक) के कार्य समय (पूर्वान्ह 9.00 से अपरान्ह 5.30 बजे तक आधा घण्टे के लंच अवकाश सहित) में सुनिश्चित करनी होगी । कुछ सेवाओं में कार्य समय सभी दिनों में 24 घण्टे एवं शिफ्ट में रह सकता है ।

5.35. सामान्यतया , तैनात कर्मचारियों से सभी कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार) में पूर्वान्ह 9.00 बजे से अपरान्ह 5.30 बजे तक सेवायें देने की अपेक्षा की जाती है जिसमें आधे घण्टे का लंच अवकाश रहेगा । आवश्यकता पड़ने पर बाह्यस्रोत के कर्मचारी को निर्धारित कार्य समय से भी अधिक समय तक काम करना पड़ेगा और उन्हें अवकाश के दिन (रविवार /राजपत्रित अवकाश) में भी आवश्यकता के अनुसार काम करना होगा । यदि ऐसी स्थिति में जब कर्मचारी से शाम 6 बजे के बाद तक या उन दिनों में जब आफिस बंद रहता है , काम करने के लिए कहा जाता है तब उसके दैनिक पारिश्रमिक के 1/8th भाग से दोगुने दर से ओवरटाइम भत्ते का भुगतान किया जाएगा ।

5.36. 6 बजे के बाद ओवरटाइम के घण्टे की गणना निम्नलिखित सूत्र (फार्मूला) के आधार पर किया जाएगा :-

- i) पहले आधे घण्टे लेकिन 15 मिनट से कम नहीं के कार्य समय को आधा घण्टा माना जाएगा और
- ii) उसके बाद हर अवधि के लिए जो 15 मिनट से कम न हो, आधे घण्टे तक के कार्य समय को आधा घण्टा माना जाएगा । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 2 घण्टे 15 मिनट अतिरिक्त काम करता है तो उसे 2 1/2 घण्टे (ढाई घण्टे का ओवरटाइम मिलेगा ।

5.37. इस तरह से तैनात कर्मचारी को कार्यालय समय का कड़ाई से पालन करना होगा । देर से पहुंचने, जल्दी चले जाने और लघु अवकाश की किसी भी स्थिति में अनुमति नहीं होगी । यदि कोई कर्मचारी किसी विशेष दिन अनुपस्थित रहता है, या देर से आता है / जल्दी चला जाता है और यदि ऐसा तीन अवसरों पर होता है तो ऐसी स्थिति में आनुपत्तिक तौर पर दैनिक पारिश्रमिक / वेतन से कटौती की जाएगी ।

5.38. एजेंसी को स्थानापन्न कर्मचारी तैनात करना होगा यदि कोई कर्मचारी दो दिन से ज्यादा दिनों के अवकाश पर रहता है ।

5.39. सेवा प्रदाता को संस्थान में तैनात कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान हेतु समस्या निवारण प्रणाली तथा समस्याओं के निदान के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी देनी होगी ।

5.40. सभी विधिक नियमों के अनुपालन में एजेंसी मासिक आधार पर कर्मचारियों को उनका पारिश्रमिक / वेतन देने के लिए जिम्मेदार होगी जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम, ईपीएफ एक्ट, ईएसआई इत्यादि , ईपीएफ, टीडीएस (आय कर) , प्रोफेशनल टैक्स आदि की कटौती और उन्हें समय पर जमा करना शामिल है।

5.41. एजेंसी एग्रीमेंट में इस बात को स्वीकार करती है कि " समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण है " और इसलिए एजेंसी द्वारा सभी समयबद्ध कार्यक्रमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।

5.42. एजेंसी निम्न लागू श्रम कानूनों तक सीमित नहीं अपितु सहित सभी अन्य कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन हेतु जिम्मेदार होगी।

अ) कांट्रैक्ट लेबर(रेग्युलेशन एवं एबालिशन) एक्ट 1970

ब) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

स) वर्कमेन्स कम्पेंसेशन एक्ट, 1923

द) दि ईम्प्लाईज प्राविडेंट फंड एक्ट, 1952

य) ईम्प्लाईज स्टेट इंश्युरेंस एक्ट, 1948

र) दि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965, तथा

ल) कोई भी अन्य नियम, विनियम एवं / या कानून जो समय समय पर लागू हों

5.43 एजेंसी प्रति वर्ष दीपावली पर्व से कम से कम 14 दिन पहले या संस्थान द्वारा तय की गई तारीख को नियोजित कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करेगी। संस्थान आउटसोर्सिंग एजेंसी से भुगतान वाउचर प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर राशि की प्रतिपूर्ति करेगा। यदि एजेंसी समय पर बोनस का भुगतान करने में विफल रहती है, तो एजेंसी के अगले बिल से जुर्माने के रूप में रु. 10000/- प्रति दिन के हिसाब से कटौती की जाएगी।

5.44. एजेंसी न तो अपना कार्य हस्तांतरित करेगी, न गिरवी रखेगी और न ही अपने किसी कार्य का उप ठेका किसी अन्य ठेकेदार को देगी ।

5.45. एजेंसी को सभी प्रकार के करों, शुल्कों, रायल्टी, वैधानिक न्यूनतम वेतन/ अंशदान का भुगतान करना होगा चाहे उनका भुगतान बाह्यस्मोत के कर्मचारियों को करना हो या/ और निविदाकार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की ओर से करना हो।

5.46. किसी भी परिस्थिति में किसी भी कार्य हेतु बाल श्रमिकों का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

5.47 यदि अनुबंध होने के उपरांत किसी भी स्तर पर सबसे कम दर वाली एजेंसी काम शुरू करने में विफल रहती है या काम शुरू करने के बाद सफलतापूर्वक / संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करती है तो संस्थान किसी भी इच्छुक एजेंसी/ एजेंसियों का चयन कर सकता है।

5.48 मौजूदा और / या पिछले संगठन से निर्विवाद प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिये और इस तरह के प्रमाणपत्र निविदा दस्तावेज जारी करने की तारीख से पहले जारी नहीं किए जाने चाहिए।

6. हस्ताक्षरित निविदा एवं अन्य शर्तें

6.1 निविदाकार (आवेदक एजेंसी) द्वारा संलग्नक सहित विधिवत भरे निविदा प्रपत्र वित्तीय दर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । प्रत्येक पृष्ठ पर इस आशय के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर किया जाना चाहिए कि निविदाकार ने सभी शर्तों को पढ़ लिया है और उसे वे स्वीकार हैं ।

6.2 सेवा प्रदाता को संलग्नक V में निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा कि उसे निविदा प्रपत्र में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तें मंजूर हैं।

7. नियुक्ति प्रक्रिया

अ) संस्थान से मांग पत्र की प्राप्ति के बाद एजेंसी संबंधित कार्य हेतु योग्य व्यक्तियों की अनुशंसा उनके प्रोफाईल (विस्तृत विवरण) के साथ करेगी और संस्थान को इंटरव्यू लेने एवं सबसे योग्य उम्मीदवार / उम्मीदवारों के चयन को सुगम बनाएगी।

ब) योग्यता, अनुभव एवं इंटरव्यू में उम्मीदवार की प्रस्तुति के आधार पर संस्थान उम्मीदवार का चयन कर सकता है और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

स) एजेंसी चयनित उम्मीदवार को 30 दिनों के अंदर संस्थान में निर्धारित कार्य हेतु भेजेगी। परीक्षा पास करने के बाद कार्य हेतु नियुक्त व्यक्ति यदि अनुपयुक्त पाया जाता है तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति की तुरंत नियुक्ति की जाएगी।

द) सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी को संस्थान के अधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्देशित कार्यों का निष्पादन करना होगा।

8. भुगतान प्रणाली

अ) सेवा प्रदाता /एजेंसी द्वारा प्रत्येक महीने के लिए उसके अगले महीने के प्रथम सप्ताह में भुगतान हेतु तीन प्रतियों में बिल प्रस्तुत करना चाहिए। बिल के साथ विधिवत रूप से प्रमाणित उपस्थिति पत्रक, पे बिल, वेतन/भुगतान का प्रमाण एवं ईपीएफ, ईएसआई आदि के भुगतान संबंधी प्रमाण पत्रों की फोटो प्रति संलग्न करनी होगी।

ब) सभी प्रकार के भुगतान प्रतिपूर्ति आधार (रीइंवर्समेंट बेसिस) पर किए जाएंगे और एजेंसी को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

स) ईपीएफ, ईएसआई आदि का भुगतान अलग से किया जाएगा जिसके लिए पेमेंट चालान और इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि एजेंसी द्वारा संस्थान में तैनात किए गए कर्मचारियों का कोई ईपीएफ /ईएसआई का बकाया नहीं है।

द) वैधानिक भुगतान यथा बोनस, ग्रैच्युटी आदि (यदि पहले से उल्लेख किया गया हो) जब भी देय होगा, प्रतिपूर्ति आधार पर किया जाएगा।

य) कोई भी भ्रम न रहे, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई बिल निर्धारित प्रारूप में और साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है या यदि किसी बिल पर संस्थान का किसी प्रकार का विवाद है तो इस प्रकार के बिल देय नहीं होंगे और संस्थान द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि विवाद समाप्त नहीं हो जाता या साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर दिए जाते।

9. ठेकेदार द्वारा नियुक्त संविदा कर्मियों को भुगतान

अ) एक कम्प्यूटरीकृत मासिक भुगतान पर्ची सभी संविदा कर्मियों को मासिक वेतन भुगतान के समय जारी करनी होगी। भुगतान पर्ची पर ठेका एजेंसी का नाम एवं लोगो आदि अंकित होना चाहिए।

ब) भुगतान पर्ची में स्पष्ट रूप से संविदा कर्मी का नाम और पहचान, भुगतान और कटौती की सभी प्रविष्टियां भी अंकित की जानी चाहिए। इसके अलावा पीएफ एकाउंट नंबर, ईएसआई एकाउंट नंबर, नियोक्ता का ईएसआई अंशदान, यदि कोई अन्य कटौती हो, तथा अन्य सभी उपयुक्त विवरणों का उल्लेख भी भुगतान पर्ची में होना चाहिए।

स) कान्ट्रैक्ट रेट, नियम एवं शर्तों के अनुसार पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के अधिकृत प्रयोक्ता / अधिकारियों द्वारा प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाएगा। कान्ट्रैक्ट रेट, नियम एवं शर्तों के अनुसार ठेकेदार अन्य सभी वैधानिक देयों का भी भुगतान करेगा।

द) कान्ट्रैक्ट कर्मियों को बैंक ट्रांसफर के द्वारा भुगतान किया जाएगा। इसके लिए किसी भी शुल्क का भुगतान संस्थान द्वारा नहीं किया जाएगा।

- य) ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों को बिल के साथ वेतन पत्रक भी जारी करना होगा जिसमें मासिक वेतन का उल्लेख होगा ।
- र) ठेकेदार द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय सभी कर्मचारियों के लिए कर्मचारी वार पीएफ कोड नंबर और ईएसआई कोड नंबर संबंधित धनराशि सहित विवरण पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पास भेजना होगा ।
- ल) बिल निम्नलिखित अनिवार्य जानकारी के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए :- कर्मचारियों की सूची नियुक्ति की तिथि सहित, उपस्थिति विवरण, वेतन पत्रक, ई-सेवा और इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (इसीआर) के माध्यम से पीएफ जमा चालान, ईएसआई जमा चालान जिसे ठेकेदार द्वारा प्रमाणित किया गया हो, ईपीएफ /ईएसआईसी एवं समय समय पर लागू अन्य विधिक आवश्यकताओं के अनुपालन के संबंध में ठेकेदार का घोषणापत्र होना चाहिये।
- व) प्रत्येक वर्ष के मई महीने में एवं ठेके की समाप्ति पर ठेकेदार पूरे साल से संबंधित (पूर्व वित्तीय वर्ष) और सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार समय समय पर परिवर्तित ईपीएफ /ईएसआईसी (जैसे पीएफ एक्ट के तहत फार्म 12ए, 6ए, 3ए) आदि दस्तावेज प्रस्तुत करेगा ।
- स) बोलीकर्ता को संस्थान के अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्देशित विधिक / ठेके संबंधी किसी भी आवश्यक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।
- ह) यदि बिल जमा करने में देरी हो जाती है तो भुगतान के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा और सभी दुष्परिणामों के लिए पूरी तरह से ठेकेदार ही जिम्मेदार होगा।
- श) बिल का भुगतान संस्थान द्वारा जांच एवं सत्यापन पर निर्भर करेगा । उपस्थिति पत्रक पर एण्ड यूजर डिपार्टमेंट द्वारा वास्तविक कार्य का संतोषजनक निष्पादन प्रमाणित किए जाने के बाद ही भुगतान किया जाएगा । उस कर्मचारी को किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा जिसे नियुक्त करने हेतु संस्थान द्वारा अधिकृत नहीं किया गया हो । इस मामले में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा ।
- छ) संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह लागू कानून के तहत ठेकेदार को देय किसी भी भुगतान से करों की कटौती करे जैसे आय स्रोत पर आयकर (टीडीएस) या कर स्थगन, या अन्य कटौतियां आदि । इस प्रकार की गई कटौतियों को ठेकेदार को किया गया भुगतान माना जाएगा । क्लाईंट इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि कटौती की जा चुकी है ।
- ज) बैंक संबंधी समस्त शुल्क ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा । देयक के ऊपर पैन नंबर एवं जी एस टी नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए ।

10. निरस्तीकरण (टर्मिनेशन)

संस्थान को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये एजेंसी को 30 दिन का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दे । एजेंसी भी चाहे तो अपनी ओर से 03 महीने का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर सकती है ।

निरस्तीकरण की अवधारणाएं

निरस्तीकरण, एजेंसी या तो तत्काल, या समाप्ति की सूचना में निर्दिष्ट तारीख पर होगा :

(ए) संस्थान के निविदाकार के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का प्रयास ;

(बी) सभी कार्यों के निष्पादन को समाप्त करना, संस्थान के रूप में ऐसे कार्यों को छोड़कर, समाप्ति की सूचना में निर्दिष्ट हो सकता है, जो प्रगति पर है ।

11 जमा धन की जब्ती -

I- अनरेस्ट जमा धन (ई एम डी) :

ए- यदि बोलीदाता को जिसे संविदा प्रदान की गई है, अनुबंध की शर्तों से पीछे हटता है तो एजेंसी द्वारा जमा ईएमडी रु 2,00,000 / - जब्त कर ली जाएगी ।

॥-सुरक्षा निधि :

बी- इस समझौते से जुड़े किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करने के मामले में, सेवा प्रदाता / एजेंसी द्वारा जमा सुरक्षा निधि इस समझौते को रद्द करने के साथ जब्त कर ली जाएगी।

12. मध्यस्थता –

- अ. किसी भी प्रकार के विवाद, प्रदर्शन, व्याख्या, अकृतीकरण, समाप्ति या इस अनुबंध के अमान्यकरण के मामले में उत्पन्न होने वाले विवाद दी स्थिति में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार एक बाध्यकारी मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा ।
- ब. मध्यस्थता कार्यवाही विवाद की स्थिति में संस्थान के निदेशक द्वारा नियुक्त एक एकल मध्यस्थ द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसका निर्णय तर्कसंगत और लिखित रूप में होगा एवं पार्टियों हेतु अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी और मध्यस्थता का स्थान हमेशा जबलपुर में होगा ।
- स. बशर्ते, इस निविदा में जो निहित न हो यह माना जायेगा कि पार्टी मध्यस्थता या लंबित मध्यस्थता से पहले अंतरिम राहत मांगने हेतु न्यायालय क्षेत्राधिकार जबलपुर (मध्य प्रदेश) के समक्ष नहीं जा सकेगी ।

13. शासी कानून:

इस निविदा को भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और निष्पादित समझा जाएगा तथा क्योंकि जबलपुर (मध्य प्रदेश) में पार्टियों द्वारा समझौते को निष्पादित किया गया है, यह मध्य प्रदेश की अदालतों के अन्नय क्षेत्राधिकार में होगें ।

14. अप्रत्याशित घटना:

यदि किसी भी समय, इस अनुबंध की निरंतरता के दौरान, इस अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व के किसी भी पार्टी द्वारा पूरे या किसी हिस्से में प्रदर्शन को बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, एक्ट ऑफ गॉड या कानून के नियमों, विनियमों या नीतियों में परिवर्तन, या अन्य नियामक प्राधिकरण अधिनियमों में परिवर्तन सहित सार्वजनिक अधिकारियों के कृत्य या कृत्यों (बाद में जिसे "घटनाओं" के रूप में संदर्भित किया जायेगा) के कारण से रोका या देरी होगी, किसी भी तरह की घटनाओं की सूचना प्रदान करते हुए घटना की तारीख से 7 दिनों के भीतर किसी भी पार्टी द्वारा घटना की जानकारी दी जाती है, न तो पार्टी इस तरह की घटनाओं के कारण इस अनुबंध को समाप्त करने की हकदार होगी और न ही पार्टी इस तरह घटनाओं या प्रदर्शन में देरी के खिलाफ नुकसान का कोई दावा कर सकेगी । इस तरह की घटनाओं के समाप्त होने के बाद अनुबंध के संचालन को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा और कार्य को फिर से शुरू किया जाये या नहीं इस पर संस्थान का निर्णय अंतिम और निर्णायिक होगा, बशर्ते कि अगर अनुबंध के तहत किसी भी घटना के कारण किसी भी दायित्व या उसके हिस्से के संचालन में 90 दिनों से अधिक अवधि हेतु कर्यरोक या देरी हो जाती है तो पार्टी अपने विकल्प पर अनुबंध समाप्त कर सकती है।

संलग्नक - I
कर्मचारियों की अनुमानित आवश्यकता

क्र.सं.	श्रेणी	उप श्रेणी	उपश्रेणी वार कर्मचारियों की संख्या	श्रेणी वार कर्मचारियों की कुल संख्या	प्रति कर्मचारी प्रति दिन का वेतन
1	अकुशल	भूत्य / सहायक	32	108	466
		सफाई कर्मी #	76		466
2	अर्धकुशल	माली कक्षा सहायक * लैब ब्वाय कंडक्टर रसोइया ऑपरेटर	03 03 05 02 01 04	18	527
3	कुशल	बढ़ई. पलंबर इलेक्ट्रिशियन ड्राइवर (मोटर वाहन) लैब टेक्नीशियन/सहायक	02 02 05 05 05	19	617
4	लिपिकीय	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	22	22	617
5	उच्च कुशल	सीनियर टी ए केयरटेकर /नर्सिंग सहायक प्रबंधक प्रोग्रामर वरिष्ठ कार्यालय सहायक	01 17 01 01 00	20	679
	कुल योग		187		

नोट:-

1. सूची चित्रण मात्र है। व्यक्तियों की संख्या और संबंधित मानदंड आवश्यकता के आधार पर भिन्न हो सकती है।
2. कर्मचारियों की उप श्रेणी वार योग्यता के लिए संलग्नक -II देखिए।
3. सभी श्रेणियों का निर्धारण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. 173, दिनांक 19 जनवरी 2017 एस. ओ. 188 (ई) (* चिन्हित के अलावा) के अनुसार किया गया है।
4. # सफाई कर्मीयों की आवश्यकता निश्चित अवधि के लिए होगी जब तक कि संस्थान द्वारा हाउसकीपिंग निविदा को पूर्ण न कर लिया जाए।

संकलन - II

नियुक्ति हेतु उप श्रेणी वार योग्यता

क्र सं.	उप श्रेणी	योग्यता (शिक्षा एवं अनुभव)
1	प्रबंधक	स्नातक के साथ सरकारी /सार्वजनिक /प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव एवं कंप्यूटर की जानकारी
2	प्रोग्रामर	(बी. ई. या बी. टेक.) अथवा (एमसीए के साथ 03 वर्ष का अनुभव) कंप्यूटर सिस्टम आपरेट करने एवं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में
3	सीनियर टी ए (सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट)	किसी मान्यताप्राप्त संस्थान /विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ 02 वर्ष का अनुभव एवं कंप्यूटर तथा आधुनिक अध्यापन तकनीक की जानकारी
4	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	स्नातक के साथ सरकारी / सार्वजनिक/प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव और कंप्यूटर की जानकारी
5	केयरटेकर /सुपरवाइज़र /वरिष्ठ कार्यालय सहायक	स्नातक के साथ सरकारी/सार्वजनिक/प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में संबंधित क्षेत्र में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव एवं कंप्यूटर तथा आधुनिक अध्यापन तकनीक की जानकारी
6	नर्सिंग सहायक	नर्सिंग /मिडवाईफरी या समान क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा या स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा मान्यताप्राप्त एवं चिकित्सा सेवा निदेशालय/आर्मी/नेवी/इण्डियन एयरफोर्स द्वारा संचालित नर्सिंग टेक्निकल कोर्स जो सिविल के पुरुष नर्सिंग कोर्स के बराबर होता है। साथ ही सरकारी /सार्वजनिक /निजी अस्पताल /नर्सिंग होम में कम से कम 05 वर्ष का अनुभव
7	ड्राइवर	1. बस और अन्य भारी वाहनों के ड्राइवर हेतु न्यूनतम योग्यता 8वीं पास +ड्राइविंग लाईसेंस (एचएमवी) बैज सहित +एचएमवी चलाने का 03 वर्ष का अनुभव 2. कार/जीप/एंबुलेंस/अन्य एलएमवी के ड्राइवर हेतु न्यूनतम योग्यता 8वीं पास +ड्राइविंग लाईसेंस (एलएमवी) बैज सहित + 03 वर्ष का संबंधित अनुभव
8	कंडक्टर	12वीं पास के साथ 03 वर्ष का अनुभव
9	लैब/ टेक्निकल असिस्टेंट	1. लैब असिस्टेंट न्यूनतम योग्यता 12वीं पास के साथ आईटीआई या संगत क्षेत्र के संबंधित पाठ्यक्रम में समकक्ष कोर्स या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा तथा कंप्यूटर की जानकारी 2. टेक्निकल असिस्टेंट न्यूनतम योग्यता

		किसी मान्यताप्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से डिप्लोमा के साथ 04 वर्ष का अनुभव तथा कंप्यूटर की जानकारी
10	रसोईया	5वीं पास के साथ कुकिंग / केटरिंग में सरकारी संगठन / सम्माननीय होटल का 03 वर्ष का अनुभव
11	कनिष्ठ कार्यालय सहायक	किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री तथा कंप्यूटर की जानकारी
12	इलेक्ट्रिशियन	10 वीं पास के साथ इलेक्ट्रिकल में आईटीआई तथा संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव या 10वीं पास के साथ समान क्षेत्र में सर्टीफिकेट कोर्स तथा 3 वर्ष का अनुभव या 8वीं पास लाईसेंसदाएँ इलेक्ट्रिशियन तथा 4 वर्ष का अनुभव
13	प्लंबर / कारपेंटर (बढ़ई)	10वीं पास के साथ आईटीआई / प्लंबिंग या कार्पेंट्री में 01 वर्ष का सर्टीफिकेट कोर्स तथा 01 वर्ष का अनुभव
14	सिविल वर्क असिस्टेंट	10वीं पास के साथ समान क्षेत्र में आईटीआई तथा 03 वर्ष का अनुभव या 10वीं पास + समान क्षेत्र में डिप्लोमा के साथ 01 वर्ष का अनुभव या संगत क्षेत्र में स्नातक डिग्री
15	लैब ब्वाय	10वीं पास के साथ संबंधित क्षेत्र में लैब उपकरणों के संचालन का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव
16	कक्षा सहायक	10वीं पास के साथ कक्षा में प्रयुक्त उपकरणों यथा कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम आदि के संचालन और देखरेख का 03 वर्ष का अनुभव
17	सहायक	कम से कम 8वीं पास के साथ कुछ अनुभव
18	भूत्य / सफाईकर्मी/ क्लीनर	कम से कम 8वीं पास के साथ कुछ अनुभव
19	माली	3 साल के अनुभव के साथ 10 वीं पास या 5 साल के अनुभव के साथ 8 वीं पास। बाग और बागवानी के रखरखाव में अनुभव होना चाहिए।

नोट 1 - अतिरिक्त अनुभव और / या व्यावसायिक योग्यता के कारण प्रबंधक, प्रोग्रामर और नर्सिंग सहायक के पद के लिए अतिरिक्त वेतन वृद्धि 5% देय होगी।

नोट 2 - लैब असिस्टेंट की तुलना में उच्च योग्यता के कारण अतिरिक्त वेतन वृद्धि 2.5% तकनीकी सहायक के पद के लिए देय होगी।

नोट 3 - उपरोक्त नोट 1 और 2 में, ओवरटाइम दरों की गणना उनकी श्रेणियों की आधार दरों के आधार पर की जाएगी।

संलग्नक - III

बोलीकर्ता विवरण फार्म / आवेदन पत्र

आईआईआईटीडीएम जबलपुर को कर्मचारी सेवा उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बोली
 (लिफाफा । - मोटे अक्षरों में : "आईआईआईटीडीएम जबलपुर को कर्मचारी सेवा उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी बोली
 " लिखा होना चाहिए)

क्र.सं.	विवरण.	सूचना
1	निविदाकार कर्मचारी सेवा प्रदाता	
2	कंपनी / फर्म के इनकार्पोरेशन की तिथि (आरओसी रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट /पार्टनरशिप डीड/या अन्य कोई विधिक दस्तावेज संलग्न करें ।)	
3	अर्नेस्ट मनी जमा का विवरण	डीडी संख्या..... दिनांक..... रु. 2,00,000/-बैंक को जारी
4	निदेशक /पार्टनर का नाम	1 2 3
5	पंजीकृत कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेल का पता	
6	जबलपुर के आपरेटिंग ऑफिस / शाखा कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नंबर फैक्स नंबर ई-मेल का पता	
7	बैंक से कर्मचारी सेवा प्रदाता को (स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
8	पैन संख्या (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
9	जीएसटी रजिस्ट्रेशन संख्या (कर्मचारी सेवाओं के लिए) प्राविजनल सर्टीफिकेट की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	
10	ईम्प्लाईज प्राविडेंट फंड (रजिस्ट्रेशन संख्या प्रमाणित प्रति संलग्न करें।	

11	ईम्प्लाईज स्टेट इंश्युरेंस रजिस्ट्रेशन संख्या (प्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
----	--	--

सेवा प्रदाता का चार्ट्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान वार्षिक टर्नओवर (अंतिम तीन वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 वर्षों के दौरान)
यदि स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक शीट लगायें

वित्तीय वर्ष	धन राशि	टिप्पणी, यदि कोई हो
2015-16		
2016-17		
2017-18		

निम्न प्रारूप में निविदाकार कर्मचारी सेवा प्रदाता द्वारा 15 जून 2013 से 15 मार्च 2019 तक की अवधि में किए गए प्रमुख ठेकों का विस्तृत विवरण दें। (यदि स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक शीट संलग्न करें)

क्र. सं	क्लाईंट का नाम, पता, टेलीफोन नंबर	प्रदान की गई कर्मचारी सेवा	ठेके की धनराशि (लाख रूपये में)	ठेके की अवधि
		कर्मचारी सेवा का प्रकार.	संख्या	
1				
2				
3				
4				
5				

कम से कम किसी एक क्लाईंट से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें जिसे निविदा के माध्यम से कर्मचारी सेवा प्रदान की गई हो। इस आशय का प्रमाण पत्र सीएफटीआई/सरकारी/सार्वजनिक निकाय क्लाईंट या अन्य जानीमानी कंपनी होनी चाहिए। उक्त प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाये।

उन संस्थानों के अधिकारियों का विवरण प्रस्तुत करें जहाँ एजेंसी / फर्म द्वारा 15 जून 2013 से 15 जून 2018 के बीच कर्मचारी सेवा प्रदान की है।

संस्थान का नाम	प्रभारी अधिकारी, पद नाम (सहायक कुलसचिव / प्रबंधक से नीचे नहीं)	फोन / मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आईडी

अतिरिक्त जानकारी यदि कोई हो

(पृथक शीट लगायें यदि स्थान पर्याप्त न हो)

घोषणा

- मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी..... श्री..... प्रोपराइटर / निदेशक, कर्मचारी सेवा प्रदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, यथा उपर्युक्त उल्लिखित, इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं इस निविदा प्रपत्र को क्रियान्वित करने के लिए सक्षम हूँ।
- मैं/ हम अपनी सहमति देता हूँ कि पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा बोलीकर्ता के चयन का निर्णय अंतिम है और मुझ पर/हम पर बाध्यकारी होगा।
- मैंने निविदा के सभी नियमों एवं शर्तों को ध्यान से पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
- मैं/ हम अपनी सहमति देता हूँ कि मुझे /हमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि हमारे कार्य, उससे संबंधित किसी क्षेत्र या निविदा में मेरे / हमारे द्वारा दिए गए ठेकों के बारे में किसी प्रकार की पूछताछ होती है।
- मैं / हम यह वचन देता हूँ कि जब भी फर्म के विधान में कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना देंगा। इस तरह के परिवर्तन के बाद ठेका चालू रखने के निर्णय का पूरा अधिकार पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर का होगा।
- निविदा के साथ दी गई सूचना / संलग्न दस्तावेज मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं/हम इस तथ्य से वाकिफ हूँ /हैं कि किसी भी प्रकार की झूठी सूचना / कूटरचित दस्तावेज के कारण किसी भी स्तर पर निविदा निरस्त की जा सकती है और साथ ही उपर्युक्त कानून के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

दिनांक.

नाम

स्थान:

सील

संलग्नक - IV

घोषणा पत्र

(ब्लैकलिस्टिंग, जालसाजी एवं भ्रष्ट आचरण के बारे में)

(बोलीकर्ता के लेटरहेड पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मुहर सहित)

मैं.....प्रोपराईटर / डायरेक्टर / पार्टनर फर्म मेसर्स.....

.....एतदर्थं घोषणा करता हूँ कि फर्म मेसर्स..... को किसी भी संगठन / आफिस द्वारा न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही प्रतिबंधित किया गया है और न ही निविदा जारी होने की तिथि से पिछले तीन वर्षों में खराब कार्य निष्पादन के कारण कोई कार्य निरस्त किया गया है।

हम किसी मुकदमें में भी नहीं हैं जिसकी वजह से निविदा में अंतर्निहित निष्पादित की जाने वाली किसी भी सेवा को प्रभावित कर सके और न ही हमने किसी कार्य की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ठेके के अंतर्गत हम किसी काम के निष्पादन में असफल नहीं हुए हैं जिसे किसी आविद्धिशन / न्यायिक अधिकरण / न्यायिक निर्णय द्वारा किसी सजा या दंड से अभिप्रमाणित किया गया है, न तो हमें किसी परियोजना से किसी सार्वजनिक या निजी उपक्रम द्वारा निष्कासित किया गया है और न ही हमारी तरफ से किसी उल्लंघन के कारण निविदा निरस्त की गई है।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि:

(अ) किसी सरकारी / केंद्रीय / राज्य / सार्वजनिक निकाय द्वारा निर्णीत एग्रीमेंट के तहत किसी भी निविदा या प्रस्ताव के संबंध में हम न तो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से और न ही किसी एजेंट के माध्यम से किसी भी भ्रष्ट आचरण, जालसाजी, अवांछनीय गतिविधि, बल प्रयोग में शामिल हुए हैं।

(ब) हमने भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रावधानों के अनुसरण में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो यह सुनिश्चित करेगा कि हमारा या हमारी ओर से कोई भी व्यक्ति किसी भी भ्रष्ट आचरण, जालसाजी, बलप्रयोग, अवांछनीय गतिविधि या प्रतिबंधात्मक क्रियाकलाप में भाग नहीं लेगा।

(स) हम यह प्रमाणित करते हैं कि सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के अलावा किसी भी अन्य मामले में हम या हमारा कोई सहयोगी किसी भी न्यायालय द्वारा अभियुक्त नहीं बनाया गया है और न ही किसी रेग्युलेटरी अथारिटी द्वारा हमारे खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश जारी किया गया है जिससे हमारी इमानदारी पर किसी भी प्रकार का संदेह उठ सके और जो हमें किसी निविदा में भाग लेने हेतु अयोग्य ठहरा सके या जो किसी गंभीर अपराध से संबंधित हो या जिससे सामुदायिक नैतिकता पर कोई आघात लगता हो।

(द) हम आगे यह भी प्रमाणित करते हैं कि सुरक्षा एवं राष्ट्रीय मामलों के अलावा अन्य मामलों में भी हमारे खिलाफ न तो किसी सरकारी एजेंसी द्वारा आरोप पत्र जारी किया गया है और न ही किसी न्यायालय द्वारा हमें अभियुक्त बनाया गया है।

(य) हम प्रमाणित करते हैं कि हम सरकार को नियमित रूप से सभी वैधानिक देय / कर अदा करते हैं और इस संबंध में हम कभी भी डिफाल्टर नहीं रहे हैं।

(र) हम आगे प्रमाणित करते हैं कि किसी भी रेग्युलेटरी अथारिटी द्वारा हमारे या हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या हमारे किसी निदेशक या प्रबंधक या किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी जाँच लंबित नहीं है।

भवदीय

(अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर)

स्थान..... नाम.....

तिथि.....पदनाम.....

संलग्नक - V

**निविदा शर्तों की स्वीकृति हेतु शपथ पत्र
(कंपनी के लेटरहेड पर)**

1. मैंने / हमने पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर की वेबसाइट -www. iiitdmj. ac. in से उपर्युक्त उल्लिखित निविदा / कार्य हेतु उक्त वेबसाइट में दिए विग्यापन के अनुसार निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर लिए हैं।

2. मैं / हम यह प्रमाणित करते हैं कि मैंने / हमने निविदा प्रपत्र में पृष्ठ संख्या..... से..... तक (संलग्नक, शेड्यूल सहित सभी दस्तावेज) में दिए गए सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है जो निविदा एग्रीमेंट का अभिन्न अंग है / हम उसमें उल्लिखित सभी नियमों / शर्तों / धारा / का पालन करेंगे ।

3. पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर द्वारा समय समय पर जारी संशोधनों को भी इस स्वीकृति पत्र को प्रस्तुत करते समय संग्यान में लिया गया है ।

4. मैं/हम उपरिलिखित निविदा प्रपत्र / संशोधन में उल्लिखित सभी निविदा शर्तों को पूरी तरह बिना शर्त स्वीकार करते हैं ।

5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन होता है तो आपका संस्थान इस निविदा / बोली को निरस्त करने / अर्नेस्ट मनी को जब्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र रहेगा और इस शर्त से संतुष्ट होते हुए हम संस्थान के खिलाफ किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगे ।

भवदीय,

(बोलीकर्ता का हस्ताक्षर, आफिस सील सहित)

संलग्नक VI

तकनीकी मूल्यांकन शीट

फर्म / एजेंसी का नाम :

क्र. सं.	तकनीकी मूल्यांकन मापदंड	अंक	प्राप्तांक (बोलीकर्ता द्वारा भरा जाये)	पूर्णांक	वैध अंक (बोलीकर्ता द्वारा नहीं, संस्थान द्वारा भरा जाये)
1	केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) में तकनीकी / प्रोफेशनल कर्मचारी सेवा उपलब्ध कराने का संगत अनुभव	अ) सीएफटीआई में (केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान) ब) जाने माने सरकारी/अद्वृत सरकारी संगठनों में	5 अंक प्रति आदेश 03 अंक प्रति आदेश		20 अंक
2	एचआरआईएस (ह्यूमन रिसोर्स इन्फारमेशन सिस्टम) या समकक्ष आईटी समर्थित कर्मचारी प्रबंधन प्रणाली	अ) तुरंत उपलब्ध (प्रमाण हेतु स्क्रीन शॉट आदि) ब) कार्य आदेश जारी किए जाने के 45 दिनों के अंदर कर्मचारियों की तैनाती का शपथ पत्र	10 अंक 05 अंक		10 अंक
3	उच्च प्रबंधन में संगत अनुभव (एजेंसी प्रबंधक या समकक्ष पद से उच्च पद)	अ) 5 से 10 वर्ष ब) 11 या उससे अधिक वर्ष	01 अंक प्रति सदस्य 02 अंक प्रति सदस्य		10 अंक
4	वैध आईएसओ सर्टिफिकेशन (आईएसओ 9001)	अ) पिछले 5 वर्ष या कम अवधि ब) 5 वर्ष की अवधि से अधिक	03 अंक 5 अंक		05 अंक
5		अ) पिछले 5 वर्ष या कम अवधि	1.5 अंक आईएसओ 14001 हेतु + 1.5 अंक ओएचएस 18001 हेतु		05 अंक

		ब) 5 वर्ष की अवधि से अधिक	2.5 अंक आईएसओ 14001 हेतु + 2.5 अंक ओएचएस 18001 हेतु			
6	पिछले 03 वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षित टर्नओवर (वित्तीय वर्ष, 2015-16, 2016-17, एवं 2017-18)	अ) 5 करोड़ से अधिक परंतु 10 करोड़ से कम ब) 10 करोड़ और उससे अधिक	10 अंक 20 अंक		20 अंक	
7	बाह्यस्रोत से कर्मचारी सेवा कितने वर्षों से संचालित की जा रही है?	अ) 03 वर्ष ब) 05 वर्ष और अधिक	5 अंक 10 अंक		10 अंक	
8	एनआईसीएसआई द्वारा सूचीबद्धता	चालू	5 अंक		5 अंक	
9	राष्ट्रीय उपस्थिति (कम से कम 3 राज्य)	3 राज्य / 3 राज्यों से अधिक	3 अंक 5 अंक		5 अंक	
10	पिछले 05 वर्षों में किए गए समान कार्य (कम से कम 100 कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध कराने का कार्य)		1 अंक प्रति कार्य		10 अंक	

बोलीकर्ता का हस्ताक्षर, सील एवं तारीख सहित

सदस्य 1

सदस्य 2

सदस्य 3

सदस्य 4

मूल्यांकन समिति

संलग्नक -VII

वित्तीय बोली प्रारूप

(लिफाफा II - " आईआईआईटीडीएम जबलपुर को कर्मचारी सेवा उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय बोली " मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए)

तिथि : ..

फर्म/एजेंसी का नाम...

क्र. सं.	ओवरहेड	धनराशि
1	कर्मचारी का वेतन	केंद्रीय न्यूनतम वेतन दर के अनुसार (इस कालम में कुछ न लिखें)
2	ईपीएफ और ईएसआई अंशदान	ईपीएफ अधिनियम एवं ईएसआईएस अधिनियम के अनुसार (इस कालम में कुछ न लिखें)
3	ठेकेदार का सेवा शुल्क (केवल प्रतिशत में)	
4	जीएसटी – शासकीय मानदंड अनुसार	

नोट:

1. यदि कोई फर्म 'नील' सेवा शुल्क या 1% (एक प्रतिशत) से कम सेवा शुल्क लगाती है, तो इसके परिणामस्वरूप बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
2. मूल्य बोली में एजेंसी के ओवरहेड / सेवा शुल्क और अन्य वैधानिक कर / देयताएं (जीएसटी को छोड़कर) शामिल होंगे।
3. यदि वित्तीय बोली अलग से प्रस्तुत नहीं की जाय एवं तकनीकी बोली के साथ जोड़ दी जाती है, तो बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
4. सेवा शुल्क पूर्ण संख्या या दशमलव संख्या में उद्धृत किए जाने चाहिए, अंश में नहीं। दशमलव बिंदु के बाद अधिकतम दो अंकों में उद्धृत संख्या मान्य होगी, उदाहरण के लिए यदि बोली को 2.176 के रूप में उद्धृत किया जाता है, तो केवल 2.17 को माना जाएगा और संख्या 6 को छोड़ दिया जाएगा।

घोषणा

- मैं..... (नाम एवं पदनाम) पुत्र..... निवासी..... एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि
1. कि मैं प्रस्ताव क्र..... दिनांक..... (एतद् संलग्न) के अंतर्गत इस निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति हूँ।
 2. कि बोलीकर्ता ने सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और ए सभी हम पर लागू होंगे।
 3. कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत सभी जानकारी सही है और कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है।
 4. कि बोलीकर्ता पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर के अनुरोध पर कोई भी प्रमाण या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
 5. कि बोलीकर्ता इस वर्तमान एग्रीमेंट के फलस्वरूप किसी भी देनदारी से पीडीपीएम आईआईआईटीडीएम जबलपुर को मुक्त रखने का वचन देता है।

तिथि.

स्थान.....

अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

मुहर _____

टीप – किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में उपरोक्त निविदा का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा